उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-01/2019/84/तीस-4-2019-11(सा0)/2017
लखनऊ : दिनांकः 23 जनवरी, 2019

अधिसूचना

चूँकि मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम 59 सन् 1988) की धारा-88 की उप धारा (5) की अपेक्षानुसार उत्तर प्रदेश सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार के मध्य किये जाने वाले करार का प्रस्तावित प्रारूप, अभ्यावेदन आमंत्रित किये जाने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या-6/2018/306/तीस-4-2018-11(सा0)/2017, दिनांक 28 फरवरी, 2018 द्वारा उत्तर प्रदेश के गजट में और करार द्वारा आच्छादित होने वाले प्रस्तावित क्षेत्र या मार्ग में परिचालित प्रादेशिक भाषाओं के विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया था;

और चूँकि प्रस्तावित करार के सम्बन्ध में प्राप्त अभ्यावेदनों पर विचार कर लिया गया है,

और, चूँकि उत्तर प्रदेश सरकार और जम्मू एवं कश्मीर सरकार के मध्य करार किया जा चुका है।

अतएव, अब, उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा(6) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल उक्त करार को निम्नानुसार प्रकाशित करते हैं :-

आज्ञा से,

(आराधना शुक्ला
प्रमुख सचिव।

संख्या- 01/2019/84/तीस-4-2019-11(सा0)/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, (विज्ञापन प्रभाग) उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को प्रदेश के 02 दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराते हुए उनकी प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(वैभव श्रीवास्तव)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या-01/2019/84/तीस-4-2019-11(सा0)/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दिनांक 23 जनवरी, 2019 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 50 - 50 प्रतियॉ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय एवं परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(रामाश्रय प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या-01/2019/84/तीस-4-2019-11(सा0)/2017, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह कृपया निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग एवं राजकीय मुद्रणालय से सम्पर्क स्थापित कर उक्त अधिसूचना को दैनिक समाचार पत्रों एवं गजट में प्रकाशित कराने हेतु किसी अभिज्ञ अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
3- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सड्क परिवहन निगम, लखनऊ।
5- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
6- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
7- विधायी अनुभाग-1।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रामाश्रय प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश व जम्मू व कश्मीर सरकारों के मध्य पारस्परिक परिवहन समझौता

यह करार आज दिनांक 07 जनवरी, 2019 को प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल (जिन्हें आगे "उत्तर प्रदेश सरकार" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) प्रथम पक्ष और सचिव, परिवहन विभाग, जम्मू व कश्मीर सरकार के माध्यम से जम्मू व कश्मीर के राज्यपाल (जिन्हें आगे "जम्मू व कश्मीर सरकार" कहा गया है, जिस अभिव्यक्ति में उनके पदासीन उत्तराधिकारी भी सम्मिलित हैं) द्वितीय पक्ष के बीच किया गया है।

चूंकि जम्मू व कश्मीर और उत्तर प्रदेश राज्यों की समीपस्थता और देश के तीव्र आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए यह समीचीन समझा गया कि जम्मू व कश्मीर और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच यात्रियों और माल के अन्तर्राज्यिक परिवहन को प्रोत्साहित किया जाय और उनके प्रचालन को विनियमित, समन्वित और नियंत्रित किया जाय, इसलिए दोनों राज्यों के बीच पारस्परिक करार करना आवश्यक है, और

चूंकि जम्मू व कश्मीर और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच सामान्यतया लोकहित में पारस्परिक करार एतद्पश्चात उपसंजात होने वाले निबंधनों एवं शर्तों पर करना आवश्यक है।

उपर्युक्त पक्षकारों द्वारा और उनके मध्य अब पारस्परिक रूप से निम्नलिखित करार किया जाता हैः

1- यह करार सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा।

2- **अस्थायी परमिट जारी किये जाने की सामान्य सहमति**

मोटरयान अधिनियम, 1988 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा गया है) की धारा 88(7) में प्रावधानित है कि धारा 88(1) में समाविष्ट किसी बात के होते हुए भी एक संभाग का संभागीय परिवहन प्राधिकरण धारा 87 के अन्तर्गत अस्थायी अनुज्ञा पत्र, जो दूसरे संभाग या राज्य में विधिमान्य होगा उस संभाग के संभागीय परिवहन प्राधिकरण या उस राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण, जैसा मामला हो, की सहमति से सामान्यतया या विशिष्ट अवसरों के लिए जारी कर सकेगा। अधिनियम के इस विशिष्ट उपबन्ध को ध्यान में रखते हुए यह करार पाया गया कि दोनों राज्यों के संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण इस करार के खण्ड 4, 6 व 11 के उपबन्धों के अधीन आवश्यकतानुसार अधिनियम की धारा 88(1) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर की अपेक्षा किये बिना मालयान और ठेका गाड़ियों के लिए अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी कर सकेंगे।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 79 के अधीन पांच वर्ष का मालयान अनुज्ञा पत्र

(एक) यह करार पाया गया कि राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी मालयान परमिट राज्य परिवहन प्राधिकरण, जम्मू व कश्मीर के प्रतिहस्ताक्षर के अध्यधीन सम्पूर्ण जम्मू व कश्मीर में वैध होंगे तथा इसी प्रकार राज्य परिवहन प्राधिकरण, जम्मू व कश्मीर द्वारा जारी परमिट राज्य/सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश के प्रतिहस्ताक्षर के अध्यधीन सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में वैध होंगे। सम्बन्धित राज्य/संभागीय परिवहन प्राधिकरण की संस्तुति पर इन परमिटों का प्रतिहस्ताक्षर दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकरण द्वारा किया जायेगा।

(दो) प्रतिहस्ताक्षरित परमिट के आधार पर संचालित मालयान का उपयोग करारकर्ता राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं पर माल लादने और उतारने के लिए नहीं किया जाएगा अर्थात ऐसे यान, करारकर्ता राज्य के क्षेत्र के भीतर अनन्य रूप से परिवहन कारोबार किये जाने से प्रतिषिद्ध होंगे और ऐसी शर्तों के अध्यधीन होंगे जैसा सम्बन्धित परिवहन प्राधिकरण अधिनियम की धारा 79 व 84 के अन्तर्गत अधिरोपित करना उचित समझे।

4- मालयान (अस्थायी अनुज्ञा पत्र)

(एक) उपरोक्त खण्ड-2 के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए दोनों में से एक राज्य द्वारा दूसरे राज्य के क्षेत्र/मार्ग, जैसा परमिट पर विनिर्दिष्ट हो, पर संचालन हेतु अधिनियम की धारा 87 के अनुसार तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य मालयान अस्थायी अनुज्ञा-पत्र, उनकी संख्या पर निर्बन्धन के बिना आवश्यकतानुसार जारी किये जा सकते हैं।

(दो) यह अनुज्ञापत्र निम्न शर्तों के अध्यधीन जारी किये जायेंगेः-

(क) पारस्परिक करारकर्ता राज्य की अधिकारिता के भीतर पूर्णतः स्थित किन्हीं दो बिन्दुओं के बीच कोई माल न तो चढ़ाया जायेगा और न ही उतारा जायेगा अर्थात ऐसे यान अन्य राज्य के राज्य क्षेत्र के भीतर अनन्यतः परिवहन के किसी भी कारोबार पर चलाये जाने के लिए प्रतिषिद्ध रहेंगे।

(ख) प्रचालक किसी अन्य शर्तों का जिन्हें परिवहन प्राधिकारी अधिनियम की धारा 79(2) के अधीन अधिरोपित करना समझे, पालन करेगा।

(ग) अस्थायी परमिट के प्रति करारकर्ता राज्यो का देय कर ई-पेमेन्ट या बैंक ड्राफ्ट जो भारत के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतान योग्य है, के माध्यम से किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की दशा में इसके दुरूपयोग एवं किसी अन्य अनुज्ञापत्र के लिए उपयोग की संभावना से बचाव के लिए बैक ड्राफ्ट के पीछे अस्थायी अनुज्ञा पत्र की संख्या का उल्लेख किया जायेगा। अस्थायी अनुज्ञा-पत्र में ई-पेमेन्ट का विवरण अथवा बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, दिनांक व धनराशि का विवरण,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

जैसी भी स्थिति हो, पृष्ठांकित किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के नाम जो संभागीय परिवहन अधिकारी, जिसके क्षेत्र से वाहन उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, के मुख्यालय पर भुगतान योग्य हो अथवा परिवहन आयुक्त, जम्मू व कश्मीर के नाम जो सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी, जिसके क्षेत्र से वाहन जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी, के मुख्यालय पर भुगतान योग्य हो, जैसी भी स्थिति हो, देय होगा। यान के चालक अथवा प्रभारी व्यक्ति द्वारा आगे की यात्रा प्रारम्भ करने से पहले बैंक ड्राफ्ट कर संग्रह केन्द्रों या सीमा से निकटतम संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में या परिवहन विभाग के मोबाइल प्रवर्तन दल, जो सीमा के नजदीक हो, को दिया जायेगा। यदि कर की धनराशि में कोई अन्तर पाया जाता है, तो उसे नगद में निर्धारित और वसूल किया जायेगा और ऐसी स्थिति में विहित प्रपत्र पर उसकी आवश्यक रसीद तत्काल जारी की जायेगी।

5- मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-74 के अधीन पांच वर्षीय मोटर कैब व मैक्सी कैब अनुज्ञा-पत्र

ठेका गाड़ियों की संख्या पर निर्बन्धन के बिना मोटर कैब व मैक्सी कैब गाड़ियों के अनुज्ञा-पत्रों पर प्रतिहस्ताक्षर, सम्बन्धित संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकारी की सिफारिश पर दूसरे राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा परमिट में विनिर्दिष्ट क्षेत्र/मार्गों के लिए किया जायेगा। प्रतिहस्ताक्षर इन शर्तो के अध्यधीन होंगे कि यान दूसरे राज्य के क्षेत्र के भीतर किन्हीं दो बिन्दुओं के मध्य किसी यात्री को न ही चढ़ायेगा और न ही उतारेगा।

6- ठेका गाड़ी अस्थायी अनुज्ञा-पत्र

उपरोक्त खण्ड-2 के अध्यधीन आवश्यकतानुसार एक राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा करारकर्ता राज्य में विनिर्दिष्ट टर्मिनलों को जोड़ने वाले विनिर्दिष्ट मार्ग के लिए आवश्यकतानुसार ठेका गाड़ी अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी किये जा सकेंगे। यद्यपि, यदि किन्हीं कारणवश एक राज्य द्वारा जारी अनुज्ञा पत्र की वैधता दूसरे राज्य के क्षेत्र में समाप्त हो जाती है, तो परिवहन प्राधिकारी, जिसके अधिक्षेत्र में उस समय वाहन हो, से आवश्यक फीस व कर की अदायगी पर नया अस्थायी अनुज्ञा पत्र प्राप्त किया जायेगा।

(एक) ऐसे अनुज्ञापत्र निम्न शर्तों के अध्यधीन होंगेः-

(क) ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्र पन्द्रह दिन से अनधिक अवधि के लिए विधिमान्य होंगे।

(ख) रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र में विनिर्दिष्ट की गई बैठक क्षमता से अधिक यात्रियों को नहीं ले जाया जाएगा और खड़े रहने वाले यात्रियों को अनुज्ञात नहीं किया जाऐगा।

(ग) ठेका गाड़ी एक ही पक्ष द्वारा किराये पर ली जाएगी तथा एकल वापसी यात्रा के लिए उपयोग की जाएगी।

(दो) ऐसे अस्थायी अनुज्ञापत्र में बाहर जाने की तारीख तथा वापसी यात्रा की तारीख स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएगी। यदि किसी अस्थायी अनुज्ञापत्र पर ठेका गाड़ी को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

लगाने वाला कतिपय पक्ष अनुज्ञापत्र मंजूर करने के पश्चात वापसी यात्रा का दिनांक बदलवाना चाहता है तो वह ऐसे परिवहन प्राधिकारी से, जिसकी अधिकारिता में उस समय ठेका गाड़ी हो, इस आशय की लिखित अनुज्ञा प्राप्त करेगा।

7- मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-88(8) के अधीन विशेष अनुज्ञा-पत्र

किसी राज्य के परिवहन प्राधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 88(8) के अधीन जारी अनुज्ञा पत्रों की संख्या का निर्बन्धन नहीं होगा। ऐसे अनुज्ञापत्र करारकर्ता राज्य में तीस दिन से अनधिक अवधि के लिए वैध होंगे।

विशेष अनुज्ञा पत्र के प्रति करारकर्ता राज्यो का देय कर ई-पेमेन्ट या बैंक ड्राफ्ट जो भारत के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतान योग्य है, के माध्यम से किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान की दशा में इसके दुरूपयोग एवं किसी अन्य अनुज्ञापत्र के लिए उपयोग की संभावना से बचाव के लिए बैक ड्राफ्ट के पीछे अस्थायी अनुज्ञा पत्र की संख्या का उल्लेख किया जायेगा। अस्थायी अनुज्ञा-पत्र में ई-पेमेन्ट का विवरण अथवा बैंक ड्राफ्ट का नम्बर, दिनांक व धनराशि का विवरण, जैसी भी स्थिति हो, पृष्ठांकित किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट, परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश के नाम, जो संभागीय परिवहन अधिकारी, जिसके क्षेत्र से वाहन उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, के मुख्यालय पर भुगतान योग्य हो अथवा परिवहन आयुक्त, जम्मू व कश्मीर के नाम, जो सम्बन्धित सम्भागीय परिवहन अधिकारी, जिसके क्षेत्र से वाहन जम्मू कश्मीर में प्रवेश करेगी, के मुख्यालय पर भुगतान योग्य हो, जैसी भी स्थिति हो, देय होगा। यान के चालक अथवा प्रभारी व्यक्ति द्वारा आगे की यात्रा प्रारम्भ करने से पहले बैंक ड्राफ्ट कर संग्रह केन्द्रों या सीमा से निकटतम संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय में या परिवहन विभाग के मोबाइल प्रवर्तन दल, जो सीमा के नजदीक हो, को दिया जायेगा। यदि कर की धनराशि में कोई अन्तर पाया जाता है, तो उसे नगद में निर्धारित और वसूल किया जायेगा और ऐसी स्थिति में विहित प्रपत्र पर उसकी आवश्यक रसीद तत्काल जारी की जायेगी।

8 कराधान

(एक) विभिन्न श्रेणी के अनुज्ञा पत्रों पर संचालित विभिन्न प्रकार की वाहनों के संदर्भ में करारकर्ता राज्य के करों का भुगतान सम्बन्धित राज्य के कराधान अधिनियम एवं नियमों के उपबन्धों के अनुसार होगा।

(दो) परन्तु, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जाने वाले यानों से भिन्न सभी प्रकार के मोटरयानों को, जो अनन्यतः एक राज्य के स्वामित्व द्वारा और सरकार के प्रयोजनों के लिए उपयोग किये जांय, करारकर्ता राज्य में उद्ग्रहणीय समस्त करों के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

9 करों के संदाय का ढंग

(एक) अनुज्ञा पत्र जारी करने वाला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि करारकर्ता राज्य के समस्त कर अग्रिम रूप से ई-भुगतान या डिमान्ड ड्राफ्ट, जो भारत के किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतान योग्य हो, द्वारा संदत्त कर दिये गये हैं। आगे की यात्रा से पूर्व कर संग्रह केन्द्रों या सीमा से निकटतम संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय या परिवहन विभाग के मोबाइल प्रवर्तन दल, जो सीमा से नजदीक हो, पर करारकर्ता राज्य अपने करों की वसूली की अपेक्षा करेगा।

ई-भुगतान या डिमान्ड ड्राफ्ट द्वारा करों के अग्रिम भुगतान की स्थिति में ई-भुगतान का विवरण अथवा प्रत्येक डिमान्ड ड्राफ्ट जिनके द्वारा दूसरे राज्य के करों का भुगतान किया गया हो, की संख्या, दिनांक व धनराशि का विवरण अनुज्ञा पत्र के मुखपृष्ठ पर स्पष्ट रूप से पृष्ठांकित किया जायेगा और उसे परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश, लखनऊ या परिवहन आयुक्त, जम्मू व कश्मीर, जैसी भी स्थिति हो, को भेजा जायेगा।

प्रत्येक राज्य का परिवहन प्राधिकारी, ई-पेमेन्ट द्वारा अग्रिम भुगतान न किये जाने की दशा में ऐसा अनुज्ञा पत्र जारी करते समय स्वामी/चालक को आगे की यात्रा प्रारम्भ करने से पहले कर संग्रह केन्द्रों या सीमा के निकटतम संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी के कार्यालय या सम्बन्धित परिवहन विभाग के मोबाइल प्रवर्तन दल, जो सीमा से नजदीक हो, को करों के भुगतान हेतु निर्देशित करेगा।

(दो) सभी अस्थायी अनुज्ञा पत्रों और विशेष अनुज्ञा पत्रों की प्रतियां, ई-भुगतान अथवा भारत के किसी निर्धारित राष्ट्रीयकृत बैंक में भुगतान योग्य डिमान्ड ड्राफ्ट का विवरण एवं अन्य सम्बन्धित सूचनायें परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और/या परिवहन आयुक्त, जम्मू व कश्मीर, जैसी भी स्थिति हो, को मासिक अन्तराल में भेजा जायेगा।

10- मंजिली गाड़ी

मंजिली गाड़ी का संचालन निम्नलिखित रीति से शासित होगाः-

(एक) उत्तर प्रदेश एवं जम्मू व कश्मीर राज्य के बीच अन्तर्राज्यिक मार्गो पर मंजिली गाड़ियों का संचालन अनुलग्नक "क" और "ख" में विनिर्दिष्ट विवरण के अनुसार होगा। प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक अन्तर्राज्यीय मार्गों पर फेरों की संख्या यथास्थिति प्रत्येक राज्य में पड़ने वाले किलोमीटर, मार्ग छोरों की स्थिति एवं उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम व जम्मू व कश्मीर परिवहन निगम के संचालन के आधार पर निर्धारित होगी। यदि किसी कारणवश अनुज्ञा पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन-पत्र का निस्तारण किया जाना सम्भव न हो और सम्बन्धित राज्य के लिए अनुलग्नक में निर्धारित कोटे के अन्तर्गत रिक्ति उपलब्ध हो तो गृह राज्य अधिनियम

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

की धारा 87(1)(ग) के अधीन अधिकतम चार माह की अवधि के लिए अस्थायी अनुज्ञापत्र करारकर्ता राज्य को सूचित कर जारी कर सकेगा। ऐसे अनुज्ञा पत्रों पर करारकर्ता राज्य का प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित होगा।

यह उपबंधित है कि, कोई वाहन, मालिक द्वारा अन्डरटेकिंग के नियंत्रणाधीन और अधिकार में दिया जाय, तो अंडरटेकिंग द्वारा उक्त वाहन के उपयोग के लिये अंडरटेकिंग और ऐसे मालिक के बीच हुयी व्यवस्था के अधीन, ऐसे वाहन को इस करार में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी परिशिष्ट-''क'' और ''ख'' में वर्णित मार्गों पर परिचालन की अनुमति दी जायेगी।

(दो) यदि किसी कारण से अनुज्ञा-पत्र के, उसकी समाप्ति के पूर्व, नवीनीकरण के लिए किसी आवेदन-पत्र पर विनिश्चय करना सम्भव न हो तो करारकर्ता राज्य को सूचित करने के अधीन चार माह तक की अवधि के लिए गृह राज्य मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा- 87(1)(घ) के अधीन अस्थायी अनुज्ञा-पत्र जारी कर सकता है और नीचे दिये गये परन्तुक के अध्यधीन ऐसे अस्थायी अनुज्ञा-पत्रों पर करारकर्ता राज्य का प्रतिहस्ताक्षर अपेक्षित होगा।

प्रतिबन्ध यह है कि अनुज्ञा-पत्रों के नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्र, मोटरयान अधिनिमय, 1988 की धारा-81(2) के अधीन नवीनीकरण आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुज्ञात समय के भीतर सम्बन्धित प्राधिकारी को प्रस्तुत कर दिया गया हो।

(तीन) नियमित/अस्थायी अनुज्ञा पत्र जारी होने की तिथि से 15 दिन के अन्दर परमिटधारक सम्बन्धित राज्य के समक्ष प्रतिहस्ताक्षर हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगा अन्यथा स्वीकृत अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जा सकेगा।

(चार) करारकर्ता राज्य की मंजिली गाड़ियों में सम्बन्धित राज्य परिवहन प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित लोगो व लीजेन्ड प्रदर्शित किया जायेगा।

(पांच) इस करार के प्रयोजन के लिए फेरा का तात्पर्य एक एकल फेरा से है। अनुलग्नक में उल्लिखित मार्गो का तात्पर्य उनमें उल्लिखित स्थानों से होते हुए दोनों राज्यों में पड़ने वाले दो छोरों को जोड़ने वाले सबसे कम दूरी के सीधे मार्ग से है और अनुलग्नक में प्रदर्शित मार्ग की लम्बाई में बाद में पायी गयी किसी विसंगति को व्यतिकारी राज्यों के परिवहन प्राधिकारियों के मध्य तत्परता से पत्र-व्यवहार के माध्यम से ठीक किया जाएगा और उसे करार के किसी उपान्तर के रूप में नहीं समझा जायेगा।

(छः) समय सारिणी का निर्धारण परिवहन उपक्रमों द्वारा आपसी सहमति से किया जायेगा।

(सात) किराया, भाड़ा, कर और बस स्टाप/स्टेशन, संबंधित राज्य द्वारा समय-समय पर विहित उपबन्धों/व्यवस्था के अनुसार होगा। एक राज्य से जारी किये गये टिकटों का प्रारूप अन्य राज्य में विधिमान्य समझा जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(आठ) प्रतिहस्ताक्षरकर्ता प्राधिकारी द्वारा सम्बन्धित राज्य में अवस्थित मार्गों के भागों पर यात्रियों को चढ़ाने और उतारने के लिए कोई प्रतिबन्ध अधिरोपित नहीं किया जायेगा।

(नौ) यथास्थिति करारकर्ता राज्य के सचिव/प्रमुख सचिव सभी विधिक अपेक्षाओं की पूर्ति कर लिखित रूप से आपसी सहमति पर, नये मार्गों के संचालन एवं विद्यमान मार्गों पर फेरों की संख्या में वृद्धि कर सकते हैं और उनके द्वारा किया गया यह कृत्य समझौते का अंश समझा जायेगा।

(दस) एक वाहन एक परमिट से आच्छादित होगा।

11- प्रतिहस्ताक्षर

एक राज्य द्वारा पारस्परिक परिवहन समझौते के अन्तर्गत जारी अनुज्ञा पत्र, सम्बन्धित राज्य के सचिव, संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण की संस्तुति के आधार पर संभागीय/राज्य परिवहन प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर सम्बन्धित राज्य की प्रतिहस्ताक्षर फीस व अन्य देय करों के भुगतान के अध्यधीन सामान्यतया तत्काल निस्तारित/प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा।

12- समय-समय पर होने वाले मेलों के लिए विशेष प्रबन्ध

मेलों, जिसमें करारकर्ता राज्यों के परिवहन आयुक्त सहमत हों, के दौरान भारी भीड़ व यातायात को नियंत्रित करने के लिए यह करार पाया गया कि मंजिली गाड़ियों के अस्थायी परमिट जारी किये जायेंगे और ऐसे परमिट करारकर्ता राज्यों के प्राधिकारियों द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत करने पर सामान्यतया तत्काल प्रतिहस्ताक्षरित किये जायेंगें।

परन्तु यह कि यदि अस्थायी परमिट करारकर्ता राज्यों के राज्य परिवहन उपक्रमों को जारी किये जाते हैं तो ऐसे अस्थायी परमिट व फेरों के सम्बन्ध में राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा समझौता किया जायेगा।

13- सामान्य

(एक) सम्बन्धित करारकर्ता राज्य इस करार के अनुसार चल रहे यानों के सम्बन्ध में दोनों राज्यों के सम्बन्धित नियमों के अध्यधीन जारी टैक्स टोकन, चालक व कन्डक्टर लाइसेन्स, परिवहन यान अधिकार पत्र, बैज, स्वस्थता प्रमाण-पत्र आदि को मान्यता देंगे।

(दो) यदि कोई परमिटधारक किसी एक राज्य द्वारा जारी एवं दूसरे राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित अनुज्ञा पत्र के आधार पर संचालन कर रहा हो, दूसरे राज्य के कर की अदायगी करने में असफल रहता है और उसके बाद संचालन बन्द कर देता है तो ऐसे चूककर्ता से कर की वसूली में दोनों राज्य एक-दूसरे की सहायता करेंगे।

(तीन) यह पारस्परिक करार सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगा और उस समय तक विधिमान्य रहेगा, जब तक कि दोनों पक्षकारों के मध्य नया करार या उसका पुनर्विलोकन न हो जाय या दोनों में से किसी एक पक्ष द्वारा छः माह की लिखित सूचना देकर विद्यमान करार को विखण्डित न कर दिया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

जिसके साक्ष्य में इसके पक्षकारों ने प्रथम ऊपर उल्लिखित दिनांक को इस करार पर निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये हैं-

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से	**जम्मू व कश्मीर के राज्यपाल के लिए और उनकी ओर से**
(आराधना शुक्ला) प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार। साक्षी	(डा0 असगर हसन समून) प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, जम्मू व कश्मीर सरकार। साक्षी
(पी0 गुरू प्रसाद) परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश एवं प्रबन्ध निदेशक यू0पी0एस0आर0टी0सी0।	(डा0 मनमोहन सिंह) प्रबन्ध निदेशक, जे0के0एस0आर0टी0सी0

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुलग्नक-क

जम्मू व कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा मंजिली गाडियों के संचालन हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण, जम्मू व कश्मीर द्वारा जारी किये जाने वाले एवं राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों एवं परमिटों का विवरण

क्र. सं.	मार्ग का नाम	मार्ग की दूरी						फेरे	परमिट	उत्तर प्रदेश में संचालन (किमी)
		उत्तर प्रदेश किमी	दिल्ली किमी	हरियाणा किमी	पंजाब किमी	जम्मू व कश्मीर किमी	कुल किमी			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	जम्मू-लखनऊ वाया दिल्ली, कानपुर	530	43	193	325	138	1229	2	2	1060
2	जम्मू-अलीगढ़ वाया आईएसबीटी कश्मीरी गेट, आईएसबीटी सराय कालेखां, न्यू दिल्ली, यमुना एक्सप्रेस वे	165	43	193	325	138	864	2	2	330
3	जम्मू-आगरा वाया आईएसबीटी कश्मीरी गेट, आईएसबीटी सराय कालेखां, न्यू दिल्ली, यमुना एक्सप्रेस वे	228	43	193	325	138	927	2	2	456
	योग-	**923**	**129**	**579**	**975**	**414**	**3020**	**6**	**6**	**1846**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

अनुलग्नक-ख

उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम द्वारा मंजिली गाडियों के संचालन हेतु राज्य परिवहन प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किये जाने वाले एवं राज्य परिवहन प्राधिकरण, जम्मू व कश्मीर द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किये जाने वाले मार्गों एवं परमिटों का विवरण

क्र. सं.	मार्ग का नाम	मार्ग की दूरी							फेरे	परमिट	जम्मू व कश्मीर में संचालन (किमी)
		उत्तर प्रदेश किमी	दिल्ली किमी	उत्तराखण्ड	हरियाणा किमी	पंजाब किमी	जम्मू व कश्मीर किमी	कुल किमी			
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
1	मथुरा-कटरा वाया दिल्ली, यमुना एक्सप्रेस वे	175	43	0	193	325	138	874	2	2	276
2	सहारनपुर-अम्बाला-जालंधर-पठानकोट-जम्मू-कटरा	24	0	0	82	311	135	552	2	2	270
3	मुजफ्फरनगर-हरिद्वार-जम्मू-कटरा	52	0	54	82	311	135	634	2	2	270
	योग-	**251**	**43**	**54**	**357**	**947**	**408**	**2060**	**6**	**6**	**816**

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

UTTAR PRADESH SHASAN
Parivahan Anubhag-4

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no.01/2019/84/XXX-4-2019-11(Sa.)/2017, dated : 23 January, 2019.

Notification

no. 01/2019/84/XXX-4-2019-11(Sa.)/2017,

Lucknow : 23 January, 2019

WHEREAS as per the requirement of sub-section (5) of section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Act no. 59 of 1988) proposed draft of the agreement to be entered into between the Government of Uttar Pradesh and the Government of Jammu-Kashmir was published vide Government notification no. 6/2018/306/XXX-4-2018-11(Sa.)/17, dated February 28, 2018 in the Gazette of Uttar Pradesh and in different news papers in regional languages circulating in the area or route proposed to be covered by the agreement with a view to inviting representations;

AND WHEREAS the representations so received in respect of proposed agreement have been considered,

AND WHEREAS Government of Uttar Pradesh and Government of Jammu & Kashmir have entered into an agreement;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (6) of section 88 of the said Act the Governor is pleased to publish the said agreement as hereunder:-

By Order

(Aradhana Shukla)
Pramukh Sachiv

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

RECIPROCAL TRANSPORT AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENTS OF UTTAR PRADESH AND JAMMU & KASHMIR

This Agreement is made on the 07th day of January, 2019 between the Governor of Uttar Pradesh through Principal Secretary, Department of Transport, Government of Uttar Pradesh (hereinafter referred to as "the Government of Uttar Pradesh", which expression shall include his successors in office) of the one part and the Governor of Jammu & Kashmir through Secretary, Department of Transport, Government of Jammu & Kashmir (hereinafter refered to as "the Government of Jammu & Kashmir", which expression shall include his successors in office) of the second part.

WHEREAS, it is expedient in view of the contiguity of the States of Jammu & Kashmir and Uttar Pradesh and rapid economic development of the country, to encourage the interstate transport of the passengers and goods between the States of Jammu & Kashmir and Uttar Pradesh and to regulate, coordinate and control their operations, it is necessary to make a reciprocal agreement between aforesaid two States, and

WHEREAS, it is necessary in the interest of the public in general to enter into a reciprocal agreement on the terms and conditions hereinafter appearing.

IT IS NOW MUTUALLY AGREED BY AND BETWEEN THE ABOVE PARTIES AS FOLLOWS:

1. This Agreement shall come into force from the date of publication of this agreement in Government/Official Gazette.

2. **General Concurrence for Issue of Temporary Permits**

Section 88(7) of the Motor Vehicle Act, 1988 (hereinafter referred to as “Act”) provide that notwithstanding anything contained in section 88(1), a Regional Transport Authority of one region may issue a temporary permit under section 87 to be valid in another Region or State with the concurrence, given generally or for the particular occasion, of the Regional Transport Authority of that other Region or of the State Transport Authority of that other State, as the case may be.. In view of this specific provision of the Act, it was agreed that Regional/State Transport Authority of both the States may issue temporary permits for goods carriages and contract carriages in pursuance of clauses 4, 6 and 11 of this agreement as per need without requirement of countersignature under section 88(1) of the Act.

3. **Goods Carriage 5 Years Permit Under Section 79 of the Motor Vehicles Act, 1988**

(i) It is agreed that the Goods Carriage permits granted by State/ Regional Transport Authority, Uttar Pradesh shall be valid for whole of Jammu & Kashmir State subject to the countersignature by the State Transport Authority, Jammu & Kashmir vice-versa permits granted by State/ Regional Transport Authority, Jammu & Kashmir shall be valid for whole of the Uttar Pradesh subject to the countersignature by the State Transport Authority, Uttar Pradesh. These permits shall be countersigned by the Transport Authorities of the other State on the recommendations of the State/Regional Transport Authority concerned.

(ii) The goods carriage operation under countersigned permits shall not be used for picking up and setting down of goods between any two points lying exclusively within the territory of the reciprocating State that is to say in such cases vehicles shall be prohibited from carrying on any business of transporting goods exclusively within the territory of the countersigning State and shall be subject to such conditions as the concerned Transport Authority may deem fit to impose under section 79 and 84 of the Act.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

4. Goods Carriage (Temporary Permit)

(i) Subject to the provisions of clause 2 above, Goods Carriage permits as per need may be issued for a period not exceeding 30 (Thirty) days by either State in accordance with the provisions of section 87 of the Act for plying on areas/routes in the other State as specified in the permit without any restriction on the number of permits and trips.

(ii) These permits shall be issued subject to the following conditions :-

(a) That no goods shall be picked up or set down between any two points lying wholly within the jurisdiction of the reciprocating State i.e. such vehicle shall be prohibited from carrying on any business of transport exclusively within the territory of the other State.

(b) That an operator shall abide by any other conditions which the Authority may deem fit to impose under section 79(2) of the Act.

(c) Taxes payable to the Governments of reciprocating States in respect of temporary permits shall be made through e-payment or Bank Drafts drawn on any Nationalised Bank of India. In case payment has been made through Bank Draft the temporary permits numbers shall be mentioned on the back of Bank Draft to avoid the possibility of its being misused or utilised against any other permit. Details of e-payment or the number, date and amount of the Bank Draft, as the case may be, shall be entered on the temporary permits. The bank draft shall be drawn in the name of the Transport Commissioner, Uttar Pradesh payable only at Headquarters of the Regional Transport Officer in whose area the vehicle enters in Uttar Pradesh or Transport Commissioner Jammu & Kashmir payable at Headquarters of the Regional Transport Officer in whose area the vehicle enters in Jammu & Kashmir, as the case may be. The bank drafts shall be handed over by the driver or person in charge of the vehicle on the Tax Collection Centres or border touching office of RTO/ARTO or mobile enforcement squad of the Transport Department which is nearest from the border before commencing the further journey. In case there is any deficiency in the amount of tax so remitted, it will be assessed and realised in cash at there for which necessary receipt in the prescribed form will be issued forthwith.

5. Motor Cab and Maxi Cab Five Years Permit under section 74 of the Motor Vehicles Act, 1988.

The permits for Motor cab and Maxi cab contract carriages without restriction on their number belonging to each States shall be countersigned by the Transport Authority of the other State on the recommendation of the Regional/State Transport Authority concerned for the area/routes specified in the permit. The countersignatures shall be subject to the condition that the vehicle will not pick up or set down any passengers between any two points within the territory of the other State.

6. Contract Carriage Temporary permit

Subject to the provision of clause 2 above, contract carriage temporary permits may be issued as per need by a Transport Authority of one State for a specific route connecting the specified terminals in the reciprocating State. However, if for some reason the validity of the permit issued by one State expires in the territory of other State, a fresh temporary permit shall

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

be obtained from the Transport Authority within whose jurisdiction the vehicle happens to be at that time after the payment of necessary fees and taxes.

(i) Such temporary permits shall be subject to the following conditions:-
   (a) Such temporary permit shall be valid for a period not exceeding fifteen days.
   (b) Passengers in excess of the seating capacity specified in the registration certificate shall not be carried and no standing passengers shall be allowed.
   (c) The contract carriage shall be hired by a single party and shall be used for a single return journey.

(ii) such temporary permits shall clearly specify the date of the outward and the date of the return journey. In case a certain party engaging a contract carriage on a temporary permit wishes to change the date of the return journey subsequent to the grant of the permit, it shall obtain permission in writing to that effect from the Transport Authority within whose jurisdiction the contract carriage happens to be at that time.

7. Special Permits Under Section 88(8) of the Motor Vehicles Act, 1988

There shall be no restriction on the number of special permits to be issued under section 88(8) of the Act by the Transport Authorities of either State. Such permits shall be valid for a period not exceeding thirty days in the reciprocating State.

Taxes payable to the Governments of reciprocating States in respect of special permits shall be made through e-payment or Bank Drafts drawn on any Nationalised Bank of India. In case payment has been made through Bank Draft the special permits numbers shall be mentioned on the back of Bank Draft to avoid the possibility of its being misused or utilised against any other permit. Details of e-payment or the number, date and amount of the Bank Draft, as the case may be, shall be entered on the special permits. The bank draft shall be drawn in the name of the Transport Commissioner, Uttar Pradesh payable only at Headquarters of the Regional Transport Officer in whose area the vehicle enters in Uttar Pradesh or Transport Commissioner Jammu & Kashmir payable at Headquarters of the Regional Transport Officer in whose area the vehicle enters in Jammu & Kashmir, as the case may be. The bank drafts shall be handed over by the driver or person incharge of the vehicle on the Tax Collection Centres or border touching office of RTO/ARTO or mobile enforcement squad of the Transport Department which is nearest from the border before commencing the further journey. In case there is any deficiency in the amount of tax so remitted, it will be assessed and realised in cash at there for which necessary receipt in the prescribed form will be issued forthwith.

8. Taxation

(i) The taxes of the reciprocating State in respect of different types of vehicle operating on various class of permits will be payable as per provisions of Taxation Act and Rules of the respective State.

(ii) However, all types of motor vehicles other than those used for commercial purposes exclusively owned by and used for the purposes of Government of one State shall be exempted from payment of all the taxes leviable in the reciprocating State.

9. Mode of Payment of Taxes

(i) The permit issuing authority shall ensure that all taxes of the reciprocating State are paid in advance either by e-payment or Demand Drafts drawn on any Nationalised Bank of India. Reciprocating State shall require recovery of its taxes at Tax Collection Centres or border

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

touching office of RTO/ARTO or mobile enforcement squad of the Transport Department which is nearest from the border before commencing the further journey.

In case advance payment of taxes either by e-payment or Demand Draft the details of e-payment or the number, date and amount of each Demand Draft through which taxes of the other State has been remitted shall be clearly endorsed on the face of the permits and same be sent to the Transport Commissioner, Uttar Pradesh, Lucknow or the Transport Commissioner, Jammu & Kashmir as the case may be.

In case where advance payment has not been made through e-payment, the Transport Authority of each State granting such permit shall direct the owner/driver to pay the taxes at the Tax Collection Centres or border touching office of RTO/ARTO or mobile enforcement squad of the Transport Department of concerned State which is nearest from the border before commencing the further journey.

(ii) Copies of all temporary permits and special permits together with details of e-payment or Demand Drafts drawn on any Nationalised Bank of India and other relevant information shall immediately be sent to the Transport Commissioner, Uttar Pradesh Lucknow and/or the Transport Commissioner, Jammu & Kashmir, as the case may be, along with details of e-payment or Demand Drafts at monthly intervals.

10. Stage Carriage

The operation of stage carriages shall be governed in the following manner:-

(i) The operation of stage carriages on interstate routes between State of Uttar Pradesh and Jammu & Kashmir shall be according to details contained in Appendix-A and B. The number of trips allocated for each State on each interstate route shall be fixed keeping in view the Kilometrage falling in each State, situation of termini of particular routes and the status of operation. If for any reason, it has not been possible to decide an application for grant of the permit and vacancy available within the quota allocated to the State concerned as per Appendix, the home State may issue temporary permits under Section 87 (1) (c) of the Act for a maximum period up to four months under intimation to the reciprocating State. Such permits shall require counter-signature of the reciprocating State.

It is provided that any vehicle, placed at the disposal and under the control of Undertaking by the owner of such vehicle under any arrangement entered into between such owner and the Undertaking for the use of the said vehicle by the Undertaking, shall also be permitted to operate on routes described in Appendix-A and B notwithstanding anything contained in this Agreement.

(ii) If for any reason, it has not been possible to decide an application for the renewal of the permit before its expiry, the home State may issue temporary permits under Section 87(1) (d) of the Act for a period up to four months under intimation to the reciprocating State and such temporary permits, subject to proviso set out below, shall require counter-signature of the reciprocating State:

provided that the application for renewal of permits has been submitted to the concerned authority within the time allowed for submission of renewal applications under section 81(2) of the Act.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(iii) Within 15 days from the date of issue of regular/temporary permit the permit holder will have to submit application for countersignature to concerned State otherwise granted permit may be revoked.

(iv) The stage carriages of reciprocating State will have to display logo or legend as prescribed by the State Transport Authorities of the concerned State.

(v) A trip for the purpose of this Agreement will mean one single trip. The route mentioned in Appendices always means the shortest direct route connecting the two terminals lying in the two States through vias mentioned and any discrepancy discovered later in the kilometrage shown in the said Appendices shall promptly be corrected through correspondence between Transport Authorities of the two States and shall not be treated as modification of the Agreement.

(vi) The time table shall be fixed by theTransport corportains with mutual concern.

(vii) Fares, freights, tax and bus stops/stations shall be in accordance with the prev alent provisions/arrangements in respective States from time to time. The form of tickets issued in one State shall be deemed to be valid in the other State.

(viii) No restriction shall be imposed by Countersigning Authority to pickup or setting down passengers on the portion of such route lying in concerned States.

(ix) The Secretary/Principal Secretary of the reciprocating States may, after completing necessary legal requirement, provide for operation on new routes and increase the trips on existing routes by mutual agreement in writing and such action taken by them shall be deemed to be part of this Agreement.

(x) One permit shall be covered by one vehicle.

11. Countersignature

Permits issued within the terms of reciprocal agreement by a State should normally be disposed of/countersigned immediately on presentation before the Regional/State Transport Authority on the recommendations of the Secretary, Regional/State Transport Authority of the concerned States subject to payment of countersignature fee and other taxes due to the respective State.

12. **Special Arrangement for Melas Held Periodically**

To meet the huge rush and traffic during the melas for which the Transport Commissioner of reciprocating States agree, it is agreed that temporary permits for stage carriages may be issued and such permits should normally be countersigned immediately by the authorities of reciprocating States on being presented before them.

Provided that in case of temporary permits to be issued to State Transport Undertakings of reciprocating States, the State Transport Undertakings will have to reach an agreement regarding the number of such temporary permits and trips.

13. General

(i) The respective reciprocating State shall accord recognition to the tax token, driver's and conductor's license, transport vehicle authorization badge, certificate of fitness etc. issued under the relevant rules of each of two States in respect of their vehicles plying in accordance with this Agreement.

(ii) If the permit holder of a vehicle operating under permit issued by one State and countersigned by the other State fails to pay the taxes of the other State and after coming into arrears stop the operation, both the States shall assist each other in recovery of the tax from such defaulter.

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(iii) This reciprocal Agreement shall come into force from the date of publication of this agreement in Government/Official Gazette and shall be valid up to such time as a new agreement between the parties hereto is arrived at or this Agreement is reviewed or rescinded for reasons to be given in writing by either party on six months prior notice.

IN WITNESS WHEREOF the parties hereto have signed this Agreement on day and year first above written in the presence of following witnesses:-

For and on behalf of the Governor of Uttar Pradesh	**For and on behalf of the Governor of Jammu & Kashmir**
(Aradhana Shukla) Principal Secretary , Transport Department Government of Uttar Pradesh	(Dr. Asgar Hassan Samoon) Principal Secretary Transport Department Government of Jammu & Kashmir
Witnesses	Witnesses
(P.Guru Prasad) Transport Commissioner Uttar Pradesh& Managing Director UPSRTC	(Dr. Manmohan Singh), Managing Director, JKSRTC

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

APPENDIX-A

ROUTES AND NUMBER OF PERMITS TO BE GRANTED BY THE STATE TRANSPORT AUTHORITYJAMMU & kASMIR AND TO BE COUNTER SIGNED BY THE STATE TRANSPORT AUTHORITY, UTTAR PRADESH FOR INTER STATE OPERATION OF STAGE CARRIAGES OF J&K SRTC

Sl. No.	Route	Route Lendth						Trip	Permit	Operation In U.P (Km.)
		UP KM	Delhi Km.	Haryana Km.	Punjab Km.	J&K Km.	Total Km.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Jammu-Lucknow via Delhi, Kanpur	530	43	193	325	138	1229	2	2	1060
2	Jammu-Aligarh via ISBT / Kashmirigate, ISBT Sarai Kaley Khan. New Delhi, Yamuna Expressway	165	43	193	325	138	864	2	2	330
3	Jammu-Agra via ISBT Kashmirigate, ISBT Sarai Kaley Khan, New Delhi, Yamuna Expressway	228	43	193	325	138	927	2	2	456
	Total	923	129	579	975	414	3020	6	6	1846

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

APPENDIX-B

ROUTES AND NUMBER OF PERMITS TO BE GRANTED BY THE STATE TRANSPORT AUTHORITY, UTTAR PRADESH AND TO BE COUNTER SIGNED BY THE STATE TRANSPORT AUTHORITY, JAMMU & KASHMIR FOR INTER STATE OPERATION OF STAGE CARRIAGES OF UPSRTC

Sl. No.	Route	Route Lendth							Trip	Permit	Operation In J&K (Km.)
		UP KM	Delhi Km.	Uttrakhand	Haryana Km.		J&K Km.	Total Km.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mathura-Delhi-Katra(via Yamuna Expressway)	175	43	0	193	325	138	874	2	2	276
2	Saharanpur-Ambala-Jalandhar-Pathankoat-Jammu-Katra	24	0	0	82	311	135	552	2	2	270
3	Muzzafarnagar-Haridwar-Jammu-Katra	52	0	54	82	311	135	634	2	2	270
	Total	251	43	54	357	947	408	2060	6	6	816

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।